20

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 7 मई, 1999 को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुराना सचिवालय, दिल्ली स्थित सभागार में हुई 20वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
4.	श्री आर० सी० वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
5.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
6.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव(शहरी विकास)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
7.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
8.	श्री एस० सी० एस० गोपालकृष्णन, सदस्य (वित्त)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

दिनांक 28.3.1999 को सम्पन्न हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई ।

संकल्प संख्या 210

संकल्प लिया गया कि पहले स्वीकृत 25 माउन्टेड टैंकरों की खरीद के अतिरिक्त 50 (पचास) और माउन्टेड टैंकरों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि इन सभी 75 माउन्टेड टैंकरों को 30 जून 1999 तक कार्य पर लगाया जाए ।

नांगलोई कालोनियों के समूह फ्रैन्डस एन्कलेव में आंतरिक सीवरों की व्यवस्था/बिछाने से संबन्धित संकल्प संख्या 206 की पुष्टि के संबन्ध में सदस्य (वित्त) ने आपत्ति इस आधार पर की कि आंतरिक सीवर की व्यवस्था/बिछाने का कार्य पहले ही दिल्ली नगर निगम के सी० एस० ई० विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है, अध्यक्ष महोदया द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के कार्य को 31 अक्टूबर, 1999 तक जल बोर्ड द्वारा ही निष्पादित कराए जाने के संबन्ध में सरकार द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है । सदस्य (वित्त) ने इस संबन्ध में सरकार द्वारा निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया ।

संकल्प संख्या 217

मद संख्या 221 दिल्ली जल बोर्ड में भारी वाहन चलाने हेतु नियमित आधार पर वाहन चालकों (सामान्य ग्रेड) के 252 पदों का सृजन ।

संकल्प लिया गया निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/85 दिनांक 16.4.99 में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में रू0 3050–4590 के वेतनमान में भारी वाहन चालकों (सामान्य ग्रेड) के 252 पदों का नियमित आधार पर सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 218

मद संख्या 222 शालीमार बाग में यू एवं वी ब्लाक के सामने बैठे हुए सीवर के स्थान पर 900 मि0 मी0 व्यास की सीवर लाईन डालना एवं जोडना – कार्य आवंटन हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी)।। द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/137 दिनांक 16.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि उक्त कार्य को रू0 45,84,257/- की अनुमानित राशि से दिल्ली दर अनुसूची 1997 से 14.99% कम दर पर और रू 38,97,077/- की कुल लागत पर मै0 कलानियाँ कनस्ट्रक्शनस को आवंटित करने की "एक्स-पोस्ट-फैक्टो" स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 219

मद संख्या 223 तृतीय 40 एम0 जी0 डी0 क्षमता के वजीराबाद जल शोधन संयंत्र पर 15.3 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य - (संशोधित अनुमान की स्वीकृति)।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/138 दिनांक 16.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य के लिए रू 1,23,97,574/- के संशोधित अनुमान को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 220

मद संख्या 224 ब्लीचिंग पाउडर आई0 एस0 कोड न0 1065-1989 (।। संशोधन) की आपूर्ति के लिए सबसे कम दर की निविदा की स्वीकृति ।

मुख्य अभियंता (सी)। के पत्र क्रमाक दि.ज.बोर्ड/तक./99/139 दिनांक 16.4.99 मे उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि 400 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर ग्रेड-।।, आई0 एस0 कोड 1065-1989 के अनुरूप (।। संशोधन) की आपूर्ति "डी" फार्म के विरूद्व रू0 9090/- प्रति मीट्रिक टन की दर से रू0 36,36,000/- की लागत पर निम्नतम निविदादाता मैसर्स मेहक कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई आर्डर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 221

मद संख्या 227 सुभाष नगर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की पूर्ति, वितरण, निमार्ण, जांच एवं प्राधिकार देना ।

मुख्य अभियंता (वि. एवं या.) वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/140 दिनांक 22.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि रू 150.23 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति और कार्य को बातचीत के आधार पर तय रू 101 लाख की दर पर निविदा आमंत्रण सूचना/फर्म के प्रस्ताव में वर्णित निबन्धनों एवं शर्तो और बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स को आवंटित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । सम्बन्धित मुख्य अभियंता दिल्ली जल बोर्ड की सदस्य श्रीमती रोशनी बंसल के साथ बैठकर इस परियोजना से सम्बन्धित आशंकाओं का निवारण करेंगे ।

संकल्प संख्या 222

मद संख्या 228 40 एम0 जी0 डी0 सीवेज पम्पिंग स्टेशन नांगलोई सैयद से निलोठी अवजल शोधक संयंत्र तक 1200 मि0 मी0 व्यास की दोहरी राइजिंग मेन को बिछाने और जोडने के कार्य हेतु 1200 मि0 मी0 व्यास के 7 कि0 ग्रा0/से0 मी0^2 क्षमता के दबाब हेतु परीक्षित पी0 एस0 सी0 पाईप और एम0 एस0 स्पेशल्स की आपूर्ति ।

मुख्य अभियंता (सी)।। के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/141 दिनांक 22.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य मैसर्स सुभाष पाइप्स प्रा0 लि0 को रू 1,02,98,242.66 (रू 10361680/- - एक प्रतिशत छूट) की कुल लागत पर उपरोक्त पत्र में वर्णित निबंधनों एवं शर्तो पर आवंटित करने की स्वीकृति दी जाती है । आगे यह भी संकल्प किया गया कि इस कार्य का कार्यादेश बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में जारी कर दिया जाए ।

संकल्प संख्या 223

मद संख्या 230 मंगोलपुरी बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की पूर्ति, वितरण, निर्माण, जाँच एवं प्राधिकार देना ।

मुख्य अभियंता (वि. एवं या.) वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/142 दिनांक 22.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य हेतु रू0 87,00,710/- की राशि के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति और कार्य को बातचीत के आधार पर तय रू0 71 लाख की लागत तथा निबंधनों एवं शर्तों पर मैसर्स आर.के. प्रोजक्टस प्रा0 लि0 को आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संबन्धित मुख्य अभियंता दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य श्रीमती रोशनी बंसल के साथ बैठकर इस परियोजना से संबन्धित आशंकाओं को दूर करेंगे ।

आगे संकल्प लिया गया कि वस्तुओं की आपूर्ति हेतु 10 प्रतिशत "मोबिलाइजेशन एडवांस" अग्रिम राशि की बैंक गारंटी के विरूद्व तथा मै0 आर.के. प्रोजक्टस प्रा0 लि0 को 18% की दर से ब्याज की वसूली, निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार आई.पी.एम.ए./आई.ई.एम.ए. पर आधारित मूल्य में वृद्वि के कारण प्रत्याशित वृद्वि की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 224

मद संख्या 231 जगतपुरी में 10.20 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्प हाउस का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/143 दिनांक 30.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति और उपरोक्त कार्य को फर्म द्वारा उदधृत दिल्ली दर अनुसूची 1997 से 1.77% कम दर पर, (मदों की सूची की मद संख्या 52 और 63 पर डाली गयी दर लागू नहीं है) रू0 1,54,35,070/- की कुल लागत पर मैसर्स ओम कनस्ट्रक्शन कम्पनी को आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । आगे संकल्प लिया गया कि इस कार्य का आदेश बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में जारी कर दिया जाए ।

संकल्प संख्या 225

मद संख्या 232 डा0 सेन नर्सिंग होम नाला अवजल संयंत्र के रचना/ढ़ांचा स्तर पर पीछे की सड़क निर्माण हेतु रिटेनिंग दीवार का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)।। के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/144 दिनांक 3.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य 11.20% कम दर पर रू0 17,70,601.65 की कुल लागत पर मैसर्स आर.सी. बंसल को आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, परन्तु मूल्य वृद्वि देय नहीं होगी । आगे संकल्प लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में कार्य आदेश जारी कर दिया जाए ।

संकल्प संख्या 226

मद संख्या 233 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों के लिए दरों की स्वीकृति ।

निदेशक (प्रशा.एवं क्रार्मिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/89 दिनांक 3.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों के बिलों का भुगतान कान्ट्रेक्ट दर पर किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। परन्तु जहां समाचार पत्र डी.ए.वी.पी. की दरें स्वीकार कर रहें है, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भी डी.ए.वी.पी. स्वीकृत दरों पर भुगतान किया जाएगा ।

संकल्प संख्या 227

मद संख्या 234 दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पैंशनभोगियों को सेवारत कर्मचारियों के समतुल्य चिकित्सा सुविधा (मेडिकल रिइम्बर्समैन्ट फैसिलिटी) की स्वीकृति ।

निदेशक (प्रशा.एवं क्रार्मिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/90 दिनांक 3.5.99 में निहित प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड ने संकल्प लिया कि तत्कालीन दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान अब दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पैंशनभोगियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा (फैसिलिटी आफ मेडिकल रिइम्बर्समैन्ट) (दिल्ली जल बोर्ड के ओषधालयों से चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध करने की सुविधा के अलावा) लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 228,229,230

मद संख्या 225, 226 और 229 गोपनीय

अलग से परिपत्रित ।

संकल्प संख्या 231

मद संख्या 235 वर्ष 1998–1999 के लिए दरों की अनुसूची में संशोधित टैरिफ के अनुसार जल प्रभार के बिलों को जारी करना ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/93 दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा उसे रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

"अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से" के अर्न्तगत निम्न मदों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए ।

1. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि यमुना नदी तट में ट्यूबवैल/रैनीवैल लगाकर विशेषतौर पर वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में 200 मिलियन गैलन दैनिक पानी प्राप्त किया जा सकता है, अध्यक्ष महोदया ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस मामले पर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के अध्यक्ष से बात करने और शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।

2. श्री आर.सी. वर्मा ने विकास पुरी में पानी की कमी के बारे में जानकारी दी । मुख्य अभियंता (सी)प्रथम को उक्त क्षेत्र विशेष में पानी की आपूर्ति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए निर्देश दिए गए ।

3. अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि दिल्ली के नागरिकों को पेयजल का उपयोग करने और इसकी बरबादी रोकने संबन्धी उपायों को अपनाए जाने के संबन्ध में संचार माध्यमों की सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए । उन्होंने आगे इच्छा व्यक्त की कि जिन लोगों ने सर्विस पाइप पर बूस्टर लगाए हुए हैं, उन्हें ऐसे बूस्टर पम्प को हटाने के लिए निर्देश दिए जाए ऐसा न किए जाने पर दोषी उपभोक्ताओं के विरूद्व दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए ।

4. बोर्ड के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि पेयजल संकट के समय उनकी सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है । उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए ।

यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करायी जाए, जिसके द्वारा दिल्ली के नागरिकों को निजी पानी के टैंकरों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाए ।

5. अध्यक्ष महोदया ने इच्छा व्यक्त की कि मद संख्या 208 दिनांक 28.3.99 में वर्णित पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टिप्पणीयों का तुरन्त अध्ययन किया जाए और संस्तुतियों को विचार हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

6. यह इच्छा व्यक्त की गई कि टैंकरो के बेड़े का युक्ति संगत संचालन किया जाए और टैंकरो को समीप के पैट्रोल पम्पों से डीजल लेने की अनुमति दी जाए जिससे "डैड माइलेज" और देरी को रोका जा सके । आगे टैंकरों की खरीद को इस प्रकार सुनियोजित किया जाए जिससे अन्तिम टैंकर 30 जून तक कार्य पर लगाया जा सके । टैंकरों की स्थिति/स्तर/लगाए जानें के विवरण की जानकारी सदस्यो को भी दी जाए ।

सचिव

अध्यक्ष

गोपनीय

संकल्प संख्या 228

मद संख्या 225 सर्वश्री पी.आर.निगम, कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) एम.एल.गुरू, सहायक अभियंता (वि.एवं या.), एस.सी.खुराना, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) और बी.के. शर्मा, लेखापाल, दिल्ली नगर निगम (अब दिल्ली जल बोर्ड) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/86 दिनांक 16.4.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि सर्वश्री पी.आर.निगम, कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.), एम.एल.गुरू, सहायक अभियंता(वि. एवं या.) एस.सी. खुराना, अधिशासी अभियंता(वि.एवं या.) और बी.के.शर्मा, लेखापाल, के मामले में मौखिक जांच करने के लिये श्री सुभाष चन्द्र, निदेशक (परियोजना) को जांच अधिकारी और श्री संदीप बनर्जी, सहायक अभियंता (सतर्कता) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (प्रेजेंटिंग आफिसर) नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस प्रस्ताव और इसके संलग्नकों को गोपनीय दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत करने, इनकी प्रतियों को तब तक किसी को भी उपलब्ध न कराए जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसके विपरीत स्पष्ट आदेश न दें ।

संकल्प संख्या 229

मद संख्या 226 अनुशासनात्मक प्राधिकारी (तत्कालीन दि.ज.प्र.एवं म.व्य.समिति) के आदेश के विरूद्ध सर्वश्री वी.बी.सक्सेना, कनिष्ठ अभियंता, शंकर लाल, पारी प्रभारी (शिफ्ट इंचार्ज) और सुभाष चन्द्र शर्मा, पारी प्रभारी (शिफ्ट इंचार्ज) द्वारा प्रस्तुत अपील ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/87 दिनांक 22.4.99 में उल्लिखित अपील में वर्णित तथ्यों/प्रस्ताव और रिकार्ड के दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने सर्वश्री वी.बी. सक्सेना, कनिष्ठ अभियंता, शंकर लाल, पारी प्रभारी और सुभाष चन्द्र पारी प्रभारी की अपील को रदद् करने का संकल्प लिया ।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस प्रस्ताव और इसके संलग्नकों को गोपनीय दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करने, इनकी प्रतियों को तब तक किसी को भी उपलब्ध न कराए जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसके विपरीत स्पष्ट आदेश न दें ।

संकल्प संख्या 230

मद संख्या 229 सर्वश्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.), जे.पी.गर्ग, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) और आर.के. गुप्ता, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) अब सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/88 दिनांक 23.4.99 में वर्णित तथ्यों और रिकार्ड के दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्वीकार किये जाने का संकल्प लिया ।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस प्रस्ताव और इसके संलग्नकों को गोपनीय दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करने, इनकी प्रतियों को तब तक किसी को भी उपलब्ध न कराए जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके विमरीत स्पष्ट आदेश न दें ।

सचिव

अध्यक्ष